5

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अपेक्षाएँ, चुनौतियाँ और समाधान

अंजुली सुहाने*

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा आजीवन सीखने के लिए एक मजबूत नींव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, भारत में करोड़ों छोटे बच्चों, विशेषकर सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था 10+2 संरचना में 3–6 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल नहीं थे, क्योंकि कक्षा 1 छह वर्ष की आयु से शुरू होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई 5+3+3+4 संरचना में अब तक दूर रखे गए 3–6 वर्ष के बच्चों को विद्यालयीन शिक्षण व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता तथा क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक लक्ष्य के तहत 2030 तक आँगनबाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों का प्रारंभिक कैडर विकसित करके उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने का रास्ता आसान नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की पहलों के कार्यान्वयन में आ सकने वाली चुनौतियाँ तथा उनके सार्थक उपायों की चर्चा इस लेख में की गई है।

शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा के द्वारा ही मानवीय क्षमताओं का विकास न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तथा राष्ट्रीय विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास में जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अर्थात बचपन में प्राप्त हुई शिक्षा का बहुत योगदान होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा आजीवन सीखने के लिए एक मजबूत नींव है।

हम सभी जानते हैं कि जीवन के पहले पाँच वर्ष बच्चे के सीखने और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 3–5 वर्ष की आयु तक बच्चे का मस्तिष्क सबसे अधिक संवेदनशील और सीखने के लिए अधिक ग्रहणशील होता है। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क का जितना अधिक प्रयोग किया जाता है, उतना ही स्थायी प्रभाव हमारे सीखने की क्षमता पर

*सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली 110 068

पड़ता है। इस प्रकार जीवन के पहले कुछ वर्ष बच्चे के समग्र विकास के लिए केंद्रीय बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं। यूनिसेफ के अनुसार, प्रारंभिक बचपन को उस अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो गर्भाधान से आठ वर्ष की आयु तक फैला हुआ है। यह बच्चे के समग्र सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है जो आजीवन सीखने और कल्याण के लिए एक ठोस आधार देता है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा वह देखभाल एवं शिक्षा है जिसमें संरक्षित तथा अनुकूल वातावरण में देख-रेख, स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रारंभिक शिक्षा का समावेशन है तथा इसका उद्देश्य 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास तथा उनके अधिगम को प्रोत्साहित करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा को विद्यालयीन शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। दीर्घकालिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा एक उत्कृष्ट निवेश है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) ज़िम्मेदार वयस्क बनने, प्रेरणा, आत्म-नियंत्रण और सामाजिकता के साथ-साथ संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देने की नींव रखता है। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की औसतन स्नातक शिक्षा ग्रहण करने की दर विद्यालय-पूर्व में नामांकित नहीं होने वाले विद्यार्थियों से अधिक होती है। अतः कहा जाता है कि प्रभावी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा नामांकन में योगदान देती है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा (ई.सी.सी.ई.)— ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक रूप से, दूरदर्शी लोगों के एक समूह ने आज़ादी से पहले भी देश भर में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, जैसे अनुभवात्मक शिक्षा, खेल के माध्यम से सीखना आदि का अभ्यास किया। गिजुभाई बधेका ने ई.सी.सी.ई. में कई नवीन बाल-सुलभ प्रथाओं की शुरुआत की। ताराबाई मोदक ने 1945 में एक ग्राम बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना की जिसने भारत की एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) या आँगनबाड़ियों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा के रूप में कार्य किया। महात्मा गाँधी और रवींद्रनाथ टैगोर को भी ई.सी.सी.ई. में सर्वोत्तम पश्चिमी और पूर्वी सिद्धांतों को सम्मिलित करने में गहरी रुचि थी।

प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा स्थापित सभी प्रमुख समितियों और आयोगों का निरंतर ध्यान केंद्रित करती रही है। 1964 में भारत के कोठारी आयोग ने राज्य- स्तरीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की सिफारिश की। दस साल बाद, बच्चों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1974) ने प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को भारत में सभी बच्चों को देखभाल और शिक्षा दोनों प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया, विशेष रूप से आबादी के उन वर्गों के लिए जहाँ पहली पीढ़ी के बच्चे विद्यालय में उपस्थित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1975 में

ग्रामीण क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। आँगनबाड़ी केंद्र गाँवों में बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ और विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्रदान करते हैं। वे आई.सी.डी.एस. के तहत स्वास्थ्य, पोषण और पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा पहल के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु हैं लेकिन आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का मुख्य ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं पर था।

औपचारिक रूप से पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन प्रौद्योगिकी, संस्कृति, संचार और शिक्षा में बढ़ती रुचि के तेजी से विकास के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ई.सी.सी.ई. को ठीक ढंग से लागू करने में विफल रही। बाद में 2013 में, भारत सरकार ने 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के निरंतर समग्र विकास के लिए एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति जारी की, परंतु सरकारी आँगनबाड़ी केंद्र, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और निजी नर्सरी इसे पूरी ताकत और प्रभाव से लागू करने में विफल रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 के अनुसार, भारत में करोड़ों छोटे बच्चों, विशेषकर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा— अपेक्षाएँ

वर्तमान शिक्षण व्यवस्था 10+2 संरचना में 3–6 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं, क्योंकि कक्षा 1 छह वर्ष की आयु से शुरू होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है एवं इसे विद्यालयीन शिक्षा के बुनियादी स्तर के रूप में नई 5+3+3+4 शैक्षणिक संरचना में शामिल करना एक महत्वपूर्ण पहल है। बुनियादी स्तर की शिक्षा में शामिल है 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा एवं कक्षा एक और दो (3–8 वर्ष के बच्चे) राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के अनुसार बुनियादी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य है, बच्चों का सर्वांगींण विकास। इसमें शामिल है विभिन्न आयाम जैसे—

- शारीरिक विकास
- सामाजिक-भावनात्मक-नैतिक विकास
- ज्ञान संबंधी विकास
- आध्यात्मिक-सांस्कृतिक-कलात्मक विकास
- संचार कौशल विकास
- प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता का विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ज़ोर दिया गया है—

सार्वभौमिक पहुँच

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 3–6 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की पहुँच 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. केंद्रों, जैसे— प्री-स्कूल या आँगनबाड़ी या बालवाटिका में उपलब्ध कराने की बात करती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में शिक्षा पाने के लिए सभी बच्चे तैयार हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा के लिए मूलभूत शिक्षण पाठ्यक्रम

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे को दो भागों में विकसित किया जा सकता है— 0–3 साल के बच्चों के लिए कार्यक्रम एवं 3–8 साल के बच्चों के लिए बुनियादी स्तर की पाठ्यचर्या।

यह पाठ्यचर्या प्रारूप शिक्षकों और माता-पिता दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

बहुआयामी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल-आधारित, पूछताछ-आधारित, गतिविधि-आधारित शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें निम्नलिखित शिक्षण अभ्यास तथा विधियाँ शामिल हैं—

- अक्षर, भाषा, अंक और गिनती
- रंग और आकार
- आंतरिक और बाहरी खेल
- समस्या को सुलझाना
- पहेलियाँ और तार्किक सोच
- शिल्प, नाटक और कठपुतली
- चित्रकला, पेंटिंग और अन्य दृश्य कला
- संगीत तथा अन्य गतिविधियाँ

प्रारंभिक कक्षा या तैयारी कक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि 5 वर्ष की आयु से पहले, प्रत्येक बच्चे को 'प्रारंभिक कक्षा' या 'बालवाटिका' (अर्थात कक्षा 1 से पहले) में ले जाया जाएगा, जिसमें ई.सी.सी.ई. योग्य शिक्षक खेल-आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे। यहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा शारीरिक क्षमताओं एवं प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आँगनबाड़ी केंद्रों की उच्चतर गुणवत्ता

उच्च गुणवत्ता वाले आँगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए दो बातें कही गई हैं—

आँगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास— प्रत्येक आँगनबाड़ी में एक समृद्ध शिक्षण वातावरण के साथ एक हवादार, सही ढंग से डिजाइन की गई, बच्चों के अनुकूल निर्मित इमारत होगी जिसमें बच्चों के खेलने तथा सीखने के लिए पर्याप्त सामग्री हो।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों का प्रशिक्षण— आँगनबाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. शिक्षकों का प्रारंभिक कैडर तैयार करने के लिए, वर्तमान आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों को रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रारंभिक साक्षरता, संख्यात्मकता और ई.सी.सी.ई. के अन्य प्रासंगिक पहलुओं से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक की योग्यता वाले आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों को ई.सी.सी.ई. में 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम और 10+2 से कम शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को एक साल का डिप्लोमा कार्यक्रम देने की अनुशंसा की है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक इन कार्यक्रमों को अपने वर्तमान कार्य में बिना किसी बड़े व्यवधान

के स्मार्टफोन और डी.टी.एच. का उपयोग करके डिजिटल या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण ले सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा— चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ई.सी.सी.ई. के लक्ष्य 2030 तक आँगनबाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. शिक्षकों का प्रारंभिक कैडर विकसित करके उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने का रास्ता आसान नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित ई.सी.सी.ई. दिशानिर्देशों को लागू करने में कुछ चुनौतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं—

- 3–6 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए निश्चित पाठ्यक्रम लागू करना।
- सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय या आँगनबाड़ी और बालवाटिका केंद्रों को खोलना।
- बुनियादी स्तर के लिए चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाना।
- 2 सालों में 15 लाख आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिक्षण के अलावा अन्य भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों की सेवाशर्तें।
- 3–6 वर्ष के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के प्रति जनजागरूकता की कमी।
- विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा— समाधान

निम्नलिखित समाधानों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित ई.सी.सी.ई. दिशानिर्देशों को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ से निपटा जा सकता है—

बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 पर आधारित निश्चित पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू हो

3–6 वर्ष के बच्चों को क्या शिक्षा देनी है इसके लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की वर्तमान स्थिति दो चरम सीमाओं पर है— एक ओर, शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालय पूर्व कुछ विषयवस्तुओं को सीखते हैं, जैसे— 0–100 तक की संख्या, वर्णमाला से अक्षर, रंगों की पहचान आदि तथा दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में आँगनबाड़ी कहानी कहने, गीत गाने और कुछ विशिष्ट अक्षर सिखाने से आगे नहीं जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि शिक्षकों को ज्ञात ही नहीं है कि 3–6 वर्ष के बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास के लिए निश्चित पाठ्यक्रम लागू हो। 3–8 वर्ष के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए अक्तूबर 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार

बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 (एन.सी.एफ.एफ.एस. 2022) का अनावरण किया गया जिसके दिशानिर्देशों के आधार पर पूरे देश में 3–8 वर्ष के बच्चों का शिक्षण एक चुनौती भरा कार्य होगा।

बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 (एन.सी.एफ.एफ.एस. 2022) में भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्यान रखते हुए 3–8 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए 'पंचकोश' की अवधारणा के आधार पर बच्चों के समग्र विकास की बात कही गई है। इस पाठ्यचर्या प्रारूप का मूल भाव 'खेल द्वारा शिक्षण' है यहाँ बताया गया है कि 3–6 वर्ष के बीच का बच्चा बात करने, सुनने, खिलौनों का उपयोग करने, ड्राइंग करने, गाने, नृत्य करने आदि जैसी गतिविधियों को करके सबसे अच्छा सीखता है। शिक्षण सामग्री के रूप में खिलौनों, कठपुतलियों, प्लेबुक, कहानी कार्ड आदि के उपयोग की बात भी कही गई है। सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सक्षम बनाने पर ज़ोर दिया गया है। बुनियादी साक्षरता के लिए यह मौखिक भाषा के विकास, शब्द पहचान, पढ़ने और लिखने पर ज़ोर देता है और संख्यात्मकता के लिए इसे मौखिक गणित, कौशल के शिक्षण, गणित के खेल और अभ्यास कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

अतः एन.सी.एफ़.एफ़.एस. 2022 के अनुसार, 3–6 वर्ष के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा का लक्ष्य तथा शिक्षणशास्त्र निम्नानुसार होना चाहिए जिससे बच्चे का समग्र विकास हो सके—

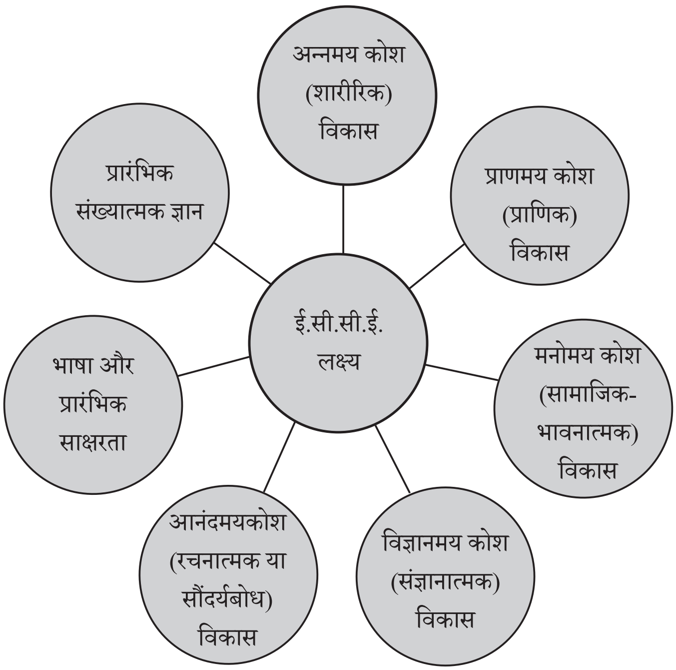

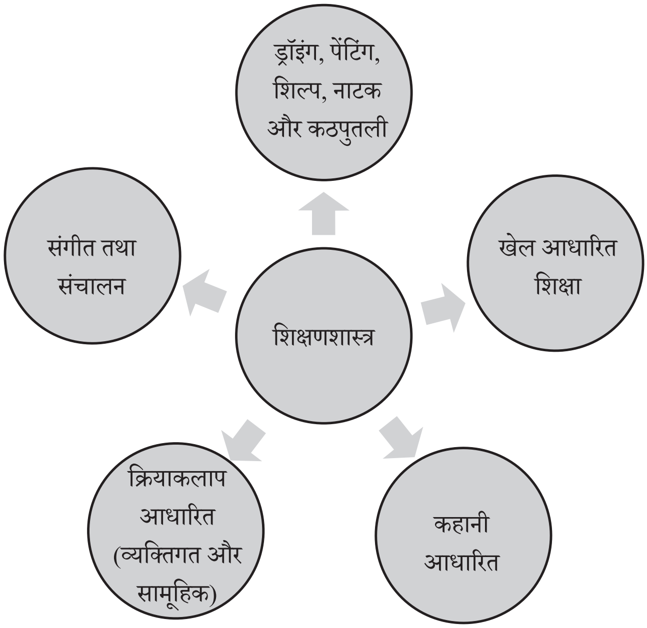

3–6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय या केंद्रों की आवश्यकता

3–6 साल तक के सभी बच्चों की पहुँच 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. केंद्रों में सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय या आँगनबाड़ी और बालवाटिका केंद्रों को खोलने की आवश्यकता होगी। बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए, प्रत्येक संरचना में शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों, बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अलग-अलग आवश्यकताएँ होंगी जिसके लिए ज़्यादा बजट की आवश्यकता होगी। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 6 प्रतिशत बजट का एक बड़ा भाग गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. केंद्रों की स्थापना में खर्च करना होगा।

आँगनबाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. शिक्षकों का प्रारंभिक कैडर विकसित करना

देशभर में इस कार्य को करने के लिए दो कार्य करने होंगे— पहला, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों के कार्यों को पुनः सूचीबद्ध करना तथा दूसरा, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों का प्रशिक्षण।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों के कार्यों को पुनः सूचीबद्ध करना— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की 21 प्रमुख भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ सूचीबद्ध की हैं। अधिकांश भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ प्रशासनिक प्रकृति की होती हैं, जो आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपना अधिकांश समय शिक्षण, सीखने और बच्चों की कुशल तरीके से देखभाल करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभिन्न हितधारकों के

साथ संपर्क में बिताने के लिए मज़बूर करती हैं। यदि उनको एक वर्ष या छह माह का प्रशिक्षण दे भी दिया जाता है तो उनके सामने ये चुनौती होगी कि वे अपने अन्य प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ बच्चों की देखभाल तथा शिक्षण का कार्य सुचारु रूप से कैसे करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल और आत्मा के सफल कार्यान्वयन के लिए और ई.सी.सी.ई. शिक्षकों के उच्च गुणवत्ता वाले कैडर के निर्माण के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें पहले आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को यथासंभव स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन पर अनावश्यक प्रशासनिक कार्यों का बोझ न डालें।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों के प्रशिक्षण का क्रियान्वयन

एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि वर्तमान में कार्यरत करीब 14 लाख आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों का 6 महीने के प्रमाणपत्र कार्यक्रम या एक साल के डिप्लोमा कार्यक्रम का प्रशिक्षण कैसे हो? पाठ्यक्रम क्या होगा? कौन-सी संस्था इसे कराएगी?

इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को रा.शै.अ.प्र.प. अथवा दूरस्थ शिक्षा के शिक्षण संस्थान करा सकते हैं जिसमें शिक्षकों को मिश्रित माध्यम (ब्लेंडेड मोड) जिसमें डिजिटल या दूरस्थ माध्यम तथा परंपरागत माध्यम को आपस में जोड़ कर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षकों को उनके वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ई.सी.सी.ई. में प्रशिक्षण प्राप्त होगा। दोनों प्रकार के कार्यक्रमों (0–3 एवं 3–8 वर्ष के बच्चों के लिए) की पाठ्यचर्या के निर्माण का आधार बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 होना चाहिए। 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम 20 क्रेडिट का तथा एक साल का डिप्लोमा कार्यक्रम 40 क्रेडिट का होना चाहिए। बच्चों का समग्र विकास करने के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षित करना होगा।

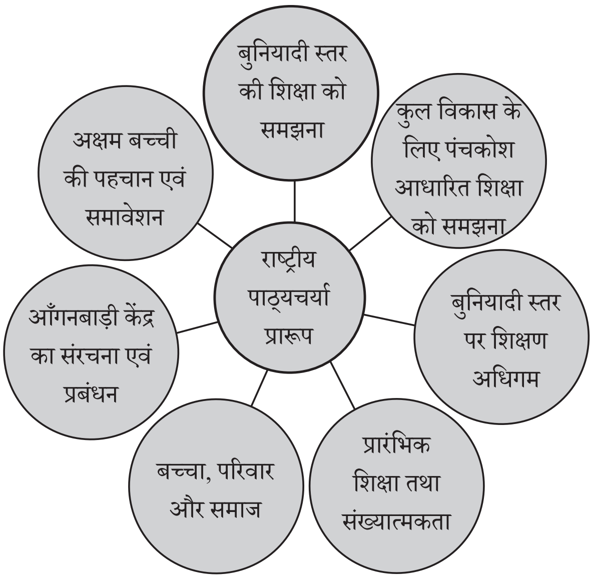

आँगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढाँचे का विकास

देश में लगभग 13.77 लाख क्रियाशील आँगनबाड़ी केंद्र हैं। आँगनबाड़ियों के बुनियादी ढाँचे में बहुत कमी है जिसको नए सिरे से विकसित करना चुनौती भरा कार्य होगा। हवादार कमरे, बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बच्चों के लिए अनुकूल फर्नीचर, बाहरी और आंतरिक खेल के उपकरण और सीखने की सामग्री, प्री-स्कूल की किताबें आदि को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी। शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं सहित अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। इन सभी के लिए एक समर्पित सार्वजनिक बजट चाहिए।

प्रारंभिक कक्षा या तैयारी कक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण

सरकार ने प्री-स्कूल मॉड्यूल '*विद्या प्रवेश*' लॉन्च किया है। यह तीन महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए होगा। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विकसित इस विद्यालय तैयारी मॉड्यूल को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनाना होगा। इसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय भी आवश्यक होगा। विद्या प्रवेश मॉड्यूल के द्वारा बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने के लिए आँगनबाड़ी और बालवाटिका कार्यकर्ताओं तथा स्कूली शिक्षकों के बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों की देखभाल तथा शिक्षण से संबंधित पहलुओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। यह अतिरिक्त कार्य शिक्षकों की कमी को और भी अधिक बढ़ा देगा, अतः स्कूली शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना आवश्यक होगा। इसी तरह आँगनबाड़ी और बालवाटिका के लिए संसाधन और व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर भर्ती करने की आवश्यकता होगी।

बुनियादी स्तर पर सेवापूर्व शिक्षण प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, चार वर्ष का एकीकृत कार्यक्रम चार स्तरों बुनियादी स्तर, प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर तथा माध्यमिक स्तर पर होगा। 3–8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के प्रभावी शिक्षण के लिए बड़ी संख्या में बुनियादी स्तर पर सेवापूर्व शिक्षण-प्रशिक्षण देना होगा, क्योंकि वर्तमान में पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में सुप्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता है।

समन्वय और अभिसरण

वर्तमान में एक आँगनबाड़ी कार्यकर्ता चार मंत्रालयों— शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के निर्देशों पर काम करती है। उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों में कोई एकरूपता नहीं है। ई.सी.सी.ई. को लागू करना किसी एक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि ई.सी.सी.ई. की योजना और कार्यान्वयन संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के संदर्भ में आगे बढ़ने का रास्ता ठोस, बहुआयामी तथा सहयोगात्मक हो। उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई.

कार्यक्रम के लिए विभिन्न मंत्रालयों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। चारों मंत्रालय आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। केंद्र तथा राज्य विशेष रणनीति बनाकर एक मिशन के रूप में ई.सी.सी.ई. को चलाया जाए। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

जनजागरूकता तथा जनभागीदारी

इस शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के संदर्भ में अभिभावकों में इस शिक्षा के महत्व की समझ विकसित होना अत्यंत आवश्यक है तभी वे बच्चों को 3 वर्ष की आयु में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में भेजेंगे तथा घर पर भी बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ समाज के अंदर जागरूकता उत्पन्न करनी होगी कि ई.सी.सी.ई. में किया गया निवेश दीर्घकालिक लाभ देगा। व्यापक जनजागरण अभियान भी चलाया जाना चाहिए, जिससे ई.सी.सी.ई. से संबंधित नीतियों तथा प्रावधानों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके। ई.सी.सी.ई. की प्रत्येक बच्चे तक पहुँच के लिए समुदाय के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी आवश्यक है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को विद्यालयीन शिक्षण व्यवस्था के तहत लाकर शिक्षा व्यवस्था तथा प्रणाली को नया आधार तथा दिशा प्रदान की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहलों के आधार पर ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम के कार्यान्वयन का रास्ता निश्चित ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलने की भी अपार संभावनाएँ हैं। चुनौतियों को दूर किया जा सकता है जब प्रत्येक स्तर पर तैयारी हो अर्थात बच्चे, माता-पिता, शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यचर्या तथा शिक्षण तंत्र सभी तैयार हों। आवश्यकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को वास्तविक धरातल पर बड़े ही उचित तथा सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जाए तथा इसमें व्यापक जनभागीदारी की जाए। तब निश्चित ही आने वाले समय में न सिर्फ़ हमारे बच्चों का, बल्कि देश का भी भविष्य बहुत उज्ज्वल तथा शानदार होगा।

संदर्भ

महिला और बाल विकास मंत्रालय. 1975. *आई.सी.डी.एस.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2022. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (बुनियादी स्तर) 2022*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.